न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री बाबू लाल, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
13/2025–वाद पत्र	19.05.2024	09.06.2025

उनवान

तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

–वादी

बनाम

1– श्री हेमराज पुत्र कुन्दनमल शर्मा निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
2– रामस्वरूप पुत्र उदयलाल गुर्जर निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
3– सुनील कुमार पुत्र कुंदनमल शर्मा निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री मुधुसुदन शर्मा : अभिभाषक प्रतिवादीगण
2. श्री पेरोकार सरकार

वाद पत्र : अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक 09.06.2025

वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–

यह है कि ग्राम दौलतपुरा प०म० दौलतपुरा तहसील शाहपुरा के वर्तमान आराजी न० 101 रकबा 0.57 है० किस्म बारानी।। एवं आराजी नंबर 2236/85 रकबा 0.55 है. किस्म बारानी । के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। ग्राम दौलतपुरा प०म० दौलतपुरा तहसील शाहपुरा के वर्तमान आराजी नं0 101 रकबा 0.57 है० किस्म बारानी।। एवं आराजी नंबर 2236/85 रकबा 0.55 है. किस्म बारानी।। दर्ज है जिस पर बिना किसी संपरिवर्तन के प्लोटिंग की गई । उक्त भूमि पर उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर अवैध रूप से वर्तमान में प्लोटिंग कर कृषि जोत के स्वरूप को परिवर्तन कर दिया गया है। कृषि जोत कि शर्तों व नियमों की अवहेलना की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अवैध हस्तान्तरण कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत शर्त भंग की परिभाषा में आता है। प्रतिवादीगण द्वारा आपस में साझकर अवैधानिक तरीके से तहरीर अथवा इकरारनामा बतौर बयनामा आदि लिखा जाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर कृषि जोत के नियमों व शर्तों का उल्लघंन किया गया है। उक्त आपसी सहमति से की गई कार्यवाही बेबुनियाद व नियमों से परे है जो कि काबिल साक्ष्य के रूप में नहीं मानी जा सकती है इसलिये खातेदार द्वारा उक्त की गई कार्यवाही नियम विरूद्ध है। उक्त अवैध हस्तांतरण एवं कब्जों की स्थिति ध्यान में आने पर काबिज अप्रार्थी को पटवारी हल्का दौलतपुरा के माध्यम से सूचित किया है कि विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ दे परंतु मौके पर वर्तमान में प्लोटिंग कर भूमि का कब्जा आज दिनांक तक बदस्तुर कृषि से अकृषि में परिवर्तित है तथा मौका पाकर निर्माण कार्य करने पर आमदा है ऐसी स्थिति भूमि धारक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी नं0 101 रकबा 0.57 है० किरम बारानी।। एवं आराजी नवर 2236/85 रकबा 0.55 है. किस्म बारानी।। की खातेदारी भूमि का अवैध हस्तानान्तरण के लिये खातेदार जिम्मेदार है जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार की समाप्ति की घोषणा करने का आदेश फरमायें। भूमि पर अवैध तरीके से काबिज व्यक्तियों द्वारा स्थाई निर्माण वगैरह किया जा कर कृषि भूमि के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। जिन्होंने अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

से पाबंद फरमाया कि प्रार्थना पत्र के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। अन्य अनुतोष जो भूमि की सुरक्षा के लिये हितकर हो तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित से भुलवश रह गया हो या प्रार्थना पत्र सुनवाई के दौरान न्यायालय के ध्यान में आये भूमि धारक को दिलवाने का कष्ट करें। खातेदारान द्वारा आपस में मिलीभगत कर कृषि भूमि को बिना रूपांतरण कराये अवैधानिक तरीके से किये गये कृषि जोत के स्वरूप में परिवर्तन से राजस्व की हानि भी की है। जमाबंदी में अंकित नवीनतम अंकन के अनुसार अभिलिखित खातेदार काश्तकारों एवं हितबद्ध कब्जाधारी पक्षकारों को बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 व सपठित धारा 63 तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खातेदार के खातेदारी अधिकार की समाप्ति की घोषणा के साथ–साथ भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 03.06.2025 को प्रतिवदीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। अभिभाषक श्री मधुसुदन शर्मा द्वारा प्रतिवादीगण की यू0टी0 ली जाकर अधिकार पत्र एवं जवाब दावा प्रस्तुत करने के अवसर चाहा है। प्रकरण वास्ते जवाब दावा के नियत किया गया है। दिनांक 009.06.2025 को अभिभाषक श्री मुधुसुदन शर्मा द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से अधिकार पत्र एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा निवदेन किया गया कि ग्राम दौलतपुरा में स्थित आराजी नम्बर 101 रकबा 0.57 है0 एवं आराजी नम्बर 2236/85 रकबा 0.55 है0 जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है, प्रतिवादीगणों द्वारा संपरिवर्तन हेतु पत्रावली श्रीमान के यहा पेश कर रखी है जिसके आवेदन क्रमांक एलसी/2025–26/235248 व एलसी/2025–26/235249 है। प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त भूमि में किसी प्रकार कोई भौतिक परिवर्तन नहीं किया है एवं न किसी प्रकार के राजस्व आय को हानि पहुंचाई है। उक्त आराजियात प्रतिवादीयों भौतिक रूप से किसी प्रकार से अकृषि कार्यों के उपयोग में नहीं ली जा रही है एव ना किसी प्रकार कोई निर्माण कर रखा है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादीयों के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये जाते है तो इससे प्रतिवादीयों को अपूर्तिनिय क्षति होगी। अतः जवाब वाद पत्र स्वीकार फरमा वाद खारिज करने का आदेश फरमावें।

अतः प्रकरण प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब एवं जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजियात का बिना संपरिवर्तन के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है किन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजियात के संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। एवं प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से संपरिवर्तन नहीं हो पायेगा। जिससे प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि प्रतिवादीगण खातेदार अपनी आराजियात का संपरिवर्तन करा आराजियात का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले सके।

–:: आदेश ::–

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आलोक में वाके ग्राम दौलतपुरा प0ह0 दौलतपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 101 रकबा 0.57 है0, 2236/85 रकबा 0.55 है0 किस्म बारानी ।। पर जारी धारा 177 की कार्यवाही इस शर्त पर ड्रोप की जाती है कि प्रतिवादीगण एक शपथ पत्र बाबत भविष्य में बिना संपरिवर्तन कराये अपनी उक्त कृषि आराजियात का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं करेंगे का न्यायालय में 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें एवं उक्त कृषि आराजियात पर किये गये अकृषि प्रयोजनार्थ भू भाग का संवरिवर्तन 30 दिवस में कराया जाकर आदेश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करेगें। अन्यथा धारा 177 की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(बाबू लाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा(राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)

बईजलास **श्री बालू लाल, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी**

उनवान

तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

–वादी

बनाम

1– श्री हेमराज पुत्र कुन्दनमल शर्मा निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
2– रामस्वरूप पुत्र उदयलाल गुर्जर निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
3– सुनील कुमार पुत्र कुंदनमल शर्मा निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955

मुकदमा नम्बर 13/2025 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दौलतपुरा प0ह0 दौलतपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 101 रकबा 0.57 है0, 2236/85 रकबा 0.55 है0 किस्म बारानी ।। पर जारी धारा 177 की कार्यवाही इस शर्त पर ड्रोप की जाती है कि प्रतिवादीगण एक शपथ पत्र बाबत भविष्य में बिना संपरिवर्तन कराये अपनी उक्त कृषि आराजियात का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं करेंगे का न्यायालय में 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें एवं उक्त कृषि आराजियात पर किये गये अकृषि प्रयोजनार्थ भू भाग का संवरिवर्तन 30 दिवस में कराया जाकर आदेश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करेगें। अन्यथा धारा 177 की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कर दी जावेगी।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 09 माह 06 सन् 2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (राज.) जिला-भीलवाड़ा (राज.)

(बाबू लाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

07 6/25

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता की ओर से अभिभाषक श्री मधुसूदन शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो मूल वाद के साथ संलग्न है। निगरानीकर्ता द्वारा मूल वाद में जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर मूल वाद का निस्तारण हो चुका है मूल वाद का निस्तारण होने के बाद इस प्रकरण में भी अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। दिनांक 03-06-25 के जारी अस्थाई निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद होकर मूल वाद के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)